न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व जमाबन्दी दुरुस्ती

नम्बर मुकदमा – 310/2023

निर्णय दिनांकः– 27.7.2023

गुरजीत सिह पुत्र जसकरण सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया

2 मनप्रीत कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी शमशेर सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजदीप कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी लखविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 किरणदीप कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. बांम तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

5 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। प्रति स. 1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह के नाम चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व चक 5 एच.आर.पी. खाता स. 49/27 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व इसी चक के खाता स. 48/85 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह का नाम दो बार दर्ज कर दिया गया है। जो एक लिपिकिय त्रुटि है व काबिल दुरूस्ती है।चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 के खाता से प्रति स. 1 का दोहरा नाम दुरूस्त किया जाकर इसे एकल नाम से पढा जावे। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति स. 2 ता 4 की जददी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति स 2 ता 4 का जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है।। प्रति स. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स.1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उक्त आराजी का वादी ही हकदार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा वादी के नाम दर्ज करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व चक 5 एच.आर.पी. खाता स. 49/27 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व इसी चक के खाता स. 48/85 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे। चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह का नाम सहबन से ऑन लाईन के बाद दो बार दर्ज हो गया है। इसे एकल नाम से ही पढा जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 5 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व चक 5 एच.आर.पी. खाता स. 49/27 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व इसी चक के खाता स. 48/85 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 ता 3 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाता है कि चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.
स. 2071–74 व चक 5 एच.आर.पी. खाता स. 49/27 खाता जसकरण सिह ज.
स. 2071–74 व इसी चक के खाता स. 48/85 खाता जसकरण सिह ज.स.
2071–74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार
काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर
राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।चक 4 एच.आर.पी.
खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1
जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह का नाम सहबन से ऑन लाईन के बाद दो बार
दर्ज हो गया है। इसे एकल नाम से ही पढा जावे।

निज ..... मुब्लिक ..... बाबत ..... खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.2.2013
को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

27/2/13

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सागरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

गुरजीत सिह पुत्र जसकरण सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया
2 मनप्रीत कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी शमशेर सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 राजदीप कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी लखविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 किरणदीप कौर पुत्री जसकरण सिह पत्नी सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. बांम तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)
5 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

मु. स . 310/2023 दाव़ा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.व 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. प्रति स. 1 ता 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व चक 5 एच.आर.पी. खाता स. 49/27 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 व इसी चक के खाता स. 48/85 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।
चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 53/37 खाता जसकरण सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 जसकरण सिह पुत्र अजमेर सिह का नाम सहबन से ऑन लाईन के बाद दो बार दर्ज हो गया है। इसे एकल नाम से ही पढा जावे।
निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.07.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

27/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official